सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग

डॉ. वाई.पी. गुप्ता

जोखिम स्तर को पार करते दिल्ली के वायु-प्रदूषण को सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यंत गम्भीरता से लिया है। आज दिल्ली में 30 लाख से भी ज़्यादा वाहन अपने ज़हरीले उत्सर्जनों से वायुमण्डल को प्रदूषित कर रहे हैं। वाहन-प्रदूषण से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि डीज़ल पर चलने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों को संघनित प्राकृत गैस (सी.एन.जी.) किट के उपयोग हेतु बदला जाए। इस ज़रूरी शर्त को पूरा करने के बाद ही इन वाहनों को सड़कों पर उतारा जाएगा। इस काम के लिए नियत तिथि थी 30 सितम्बर 2000।

विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि हम भारतीय ऐसा साफ सुथरा ईंधन और तकनीक विकसित करने में असफल रहे हैं जो वायु की गुणवत्ता को कायम रखती हो और स्वास्थ्य के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो। अध्ययन बताता है कि डीज़ल का धुआं अधिक कैंसरकारी होता है। पेट्रोल चालित वाहनों की तुलना में डीज़ल चालित वाहनों के उत्सर्जनों से कैंसर का जोखिम दो गुना होता है। यह भी कहा गया है कि डीज़ल के धुएं से एलर्जी, दमा और सांस सम्बंधी अन्य समस्याओं जैसे गैर-कैंसरकारी प्रभाव भी अपार हैं। हाइड्रोकार्बन, निलंबित कणीय पदार्थ, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि जैसे उद्योगों से निकलते हानिकारक प्रदूषक पदार्थ और वाहनों में उपयोग हो रहा पेट्रोलियम, दोनों मिलकर हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे फेफड़ों का कैंसर, श्वास नली शोथ जैसी बीमारियां फैल रही हैं। 80 प्रतिशत कैंसर खतरनाक और घातक रसायनों से प्रदूषित वायुमंडल के कारण होते हैं। परिवहन वाहनों से उत्सर्जित हो रहे सीसे के कारण होने वाले प्रदूषण में दिल्ली पहले स्थान पर है। दिल्ली के नागरिकों के शरीर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) द्वारा मान्य सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक सीसा संचित है।

विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) ने हाल ही में रिपोर्ट दी है कि हम भारतीय ऐसा साफ सुथरा ईंधन और तकनीक विकसित करने में असफल रहे हैं जो वायु की गुणवत्ता को कायम रखती हो और स्वास्थ्य के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाई गई हो।
परिवहन वाहनों से उत्सर्जित हो रहे सीसे के कारण होने वाले प्रदूषण में दिल्ली पहले स्थान पर है। दिल्ली के नागरिकों के शरीर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (वि.स्वा.सं.) द्वारा मान्य सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक सीसा संचित है।

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के वाहनों में सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग किया जाना विवाद के घेरे में है। बिना केटेलेटिक कन्वर्टरों के वाहन बेंज़ीन जैसी अधिक ज़हरीली गैसें छोड़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि दिल्ली में 0.05 प्रतिशत सल्फर और एक प्रतिशत बेंज़ीन वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। इस समय पेट्रोल में 0.1 प्रतिशत सल्फर होता है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीडेशन केटेलिस्ट के साथ कम सल्फर (0.05 प्रतिशत) वाले डीज़ल का उपयोग सी.एन.जी. से बेहतर ईंधन है।

दो स्ट्रोक के दुपहिया-तिपहिया वाहन भारत में उत्पादित गैसोलीन का 60 प्रतिशत उपयोग करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह पेट्रोल के स्थान पर पर्यावरण स्नेही ईंधन प्रोपेन के उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगाए। आजकल विकसित देशों में प्रोपेन का उपयोग किया जा रहा है। अधिकांश ऑटो प्रोपेन के उपयोग हेतु बदले नहीं जा सकते हैं